

दिनांक 01 जनवरी 2019

को वर्ष

2018

के लिए अचल संपत्ति का विवरण

अधिकारी का नाम:

अरविन्द कुमार वानी

वर्तमान वेतन: 83600/-

सेवा का नाम जिससे अधिकारी संबंधित है:

भारतीय रक्षा विभाग

वर्तमान पद:

रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक

जिला, सब डिवीजन, ताल्लुक और गाँव का नाम जहाँ सम्पत्ति है	संपत्ति, आवासीय भूमि और अन्य भवनों आदि का नाम व ब्यौरा	*वर्तमान मूल्य	यदि संपत्ति अपने स्वयं के नाम पर नहीं है तो बताएं कि किसके नाम से है तथा उससे सरकारी कर्मचारी का संबंध क्या है?	सम्पत्ति कैसे अर्जित की गई? क्या खरीदी गई, पट्टे पर ली गई**, बंधक, उत्तराधिकार, उपहार अथवा किसी अन्य स्रोत से ली गई। तारीख जिसको अधिकार में ली गई तथा उस व्यक्ति का नाम जिससे ली गई।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्तियाँ
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
पामगढ़, जिला जांजगीर-चाम्पा(छ.ग.)	0.87 एकड़ कृषि भूमि	आंकलित नहीं है	श्रीमती शालिनी वानी के साथ संयुक्त रूप से धारित	पैतृक रूप (इनहेरिटेड) से अर्जित।	शून्य	---
बारगांव, पामगढ़, जिला जांजगीर-चाम्पा(छ.ग.)	1.83 एकड़ कृषि भूमि	आंकलित नहीं है	संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों के साथ धारित	पैतृक रूप (इनहेरिटेड) से अर्जित।	शून्य	---
सेक्टर 30, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)	126 वर्ग मीटर आवासीय भूमि	आंकलित नहीं है	स्वयं के नाम पर	नया रायपुर विकास प्राधिकरण से पट्टे पर ली गयी।	शून्य	संदर्भ: सीजीडीए पत्र क्रमांक AN-1/3160/5/Property दिनांक-24.09.2014

जो खंड लागू नहीं हैं, उसे काट दिया जाए।

\*जहां मूल्य का सटीक आंकलन संभव नहीं है वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में अनुमानित मूल्य उल्लिखित किया जाए।

\*\*अल्पकालिक पट्टे पर ली गई भी शामिल है।

टिप्पणी: यह घोषणा भरना तथा इसे केंद्रीय सिविल सेवा(आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(3) एवं (4) के अधीन सेवा में प्रथम नियुक्ति पर समूह-1 के प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक है और इसके पश्चात इसे प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर भरा जाए जिससे उसके नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम पर अर्जित, उत्तराधिकार में प्राप्त, पट्टे पर ली गई अथवा बंधक संपूर्ण अचल संपत्ति का विवरण दिया गया हो।

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

*Arvind Kumar Vani*

30/01/2019